केन्द्रीय विद्यालय संगठन, क्षेत्रीय कार्यालय राँची
KENDRIYA VIDYALAYA SANGATHAN, REGIONAL OFFICE, RANCHI
(An Autonomous Body underMinistry of Education, Govt. of India
के.वि. नामकुम परिसर, नामकुम राँची, झारखंड-834010
KV, Namkum Campus, Namkum, Ranchi, Jharkhand-834010
फोन: 9264436970(DC), 9102992109(AC), 9102992107(AO), 9102992108 (FO)
E-mail: dcroranchi@gmail.com,acroranchi@gmail.com
aororanchi@gmail.com,hindiroranchi@gmail.com
Website: https://roranchi.kvs.gov.in

फा. 40025/4/केविसं(क्षे०का०राँची)/2026-27/ 20439-40 दिनांक: 10.09.2026

ई-मेल द्वारा

संयुक्त आयुक्त (प्रशासन)
केन्द्रीय विद्यालय संगठन (मुख्यालय)
नई दिल्ली – 110016

विषय :- राजभाषा हिन्दी के प्रगामी प्रयोग संबंधी केविसं, क्षेत्रीय कार्यालय, राँची में आयोजित राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठक के कार्यवृत्त का प्रेषण।

महोदया,

उपर्युक्त विषय पर 30.09.2026 को समाप्त हो रही तिमाही हेतु दिनांक 09.09.2026 को केविसं, क्षेत्रीय कार्यालय, राँची की राजभाषा हिन्दी के प्रगामी प्रयोग से संबन्धित राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठक आयोजित की गई। अतः उक्त बैठक का कार्यवृत्त आपके अवलोकन एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित की जा रही है।

भवदीय,

संलग्नक : यथोपरि।

10.09.2026
(एस० वी०जोगलेकर)
उपायुक्त

प्रतिलिपि:-

1. सहायक निदेशक (राजभाषा) / सदस्य सचिव, नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति (केन्द्रीय कार्यालय-2), कर्मचारी भविष्य निधि संगठन, भविष्य निधि भवन, हिनू डोरण्डा, राँची, झारखण्ड को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु।

केन्द्रीय विद्यालय संगठन, क्षेत्रीय कार्यालय, राँची

केन्द्रीय विद्यालय संगठन, क्षेत्रीय कार्यालय, रांची की राजभाषा कार्यान्वयन

समिति की दिनांक 09.09.2026 को आयोजित 54वीं बैठक का कार्यवृत्त

केन्द्रीय विद्यालय संगठन, क्षेत्रीय कार्यालय,राँची में राजभाषा हिन्दी के प्रयोग में उत्तरोत्तर वृद्धि करने के उद्देश्य से दिनांक 09.09.2026 को श्री एस.वी.जोगलेकर, उपायुक्त, रांची संभाग की अध्यक्षता में कार्यालय की राजभाषा कार्यान्वयन समिति की सत्र 2026-27 हेतु द्वितीय तिमाही बैठक का आयोजन किया गया। उक्त बैठक में राजभाषा कार्यान्वयन समिति के सदस्य-सचिव श्री बलेन्द्र कुमार, सहायक आयुक्त सह राजभाषा अधिकारी, सदस्यों में श्रीमती सुजाता मिश्र, सहायक आयुक्त, श्री संजय कुमार, अनुभाग अधिकारी, डॉ प्रियंका सिंह, हिन्दी अनुवादक एवं सभी उपस्थित सहकर्मी गण ने अपनी उपस्थिति सुनिश्चित की।

बैठक की कार्यसूची :-

मद संख्या	विषय
1.	पिछली बैठक में लिए गए निर्णयों की अनुपालन स्थिति
2.	वार्षिक कार्यक्रम 2026-27
3.	संबंधित सहायकों द्वारा प्रेषित पत्रों की संख्या पर चर्चा एवं विद्यालयों का पत्राचार प्रतिशत
4.	मुख्यालय द्वारा प्रेषित पत्रों की चर्चा, कार्ययोजना एवं समीक्षा
5.	नियम 8(4) – व्यक्तिशः आदेश
6.	अधीनस्थ विद्यालयों का राजभाषाई निरीक्षण
7.	हिंदी माह का आयोजन
8.	हिंदी कार्यशाला
9.	धन्यवाद ज्ञापन



समिति की बैठक यथासमय उपायुक्त कक्ष में प्रारम्भ हुई। हिन्दी अनुवादक डॉ प्रियंका सिंह द्वारा उपायुक्त महोदय की अनुमति से बैठक के शुरू होने की औपचारिक घोषणा की गई एवं बैठक में उपस्थित अध्यक्ष महोदय सहित सभी सदस्यों का स्वागत किया गया। उसके उपरांत बैठक की कार्यसूची सभी के सम्मुख प्रस्तुत किया गया एवं प्रस्तावित बैठक के विभिन्न मदों पर चर्चा प्रारम्भ हुई।

बैठक की औपचारिक शुरुआत के उपरांत राजभाषा कार्यान्वयन समिति की दिनांक 19.06.2026 को आयोजित 53वीं बैठक में लिए गए निर्णय पर की गई अनुवर्ती कार्रवाई के संबंध में समिति को अवगत करवाया गया। पिछली बैठक में लिए गए निर्णय के अनुपालन में निम्नलिखित कार्रवाई की गई –

1. हिंदी पत्राचार के संबंध में 30.06.2026 को समाप्त तिमाही के दौरान क्षेत्रीय कार्यालय का पत्राचार प्रतिशत 99.4 एवं अधीनस्थ केन्द्रीय विद्यालय लक्ष्य पत्राचार प्रतिशत को प्राप्त करने में सफल रहें।
2. राजभाषा अधिनियम 1963 की धारा 3(3) के अनुपालन हेतु प्रेषण अनुभाग में धारा 3(3) के अंतर्गत जारी कागजात को टिप्पण में इंगित किया जा रहा है।
3. ई-ऑफिस में टिप्पण लेखन हिंदी में किया जा रहा है।
4. अधिकांश कार्यालयी कार्य हिंदी में किया जा रहा।
5. वार्षिक कार्यक्रम 2026-2 में निर्धारित प्रत्येक लक्ष्य को प्राप्त करने का प्रयास किया गया। हिंदी पत्राचार 99.97 प्रतिशत रहा, हिंदी टिप्पण लेखन 99 % रहा, ससमय तिमाही हिंदी प्रगति रिपोर्ट मुख्यालय, राजभाषा विभाग एवं नराकास प्रेषित किया गया, राभाकास की बैठक का नियमित आयोजन किया गया।
6. हिंदी कार्यशाला का आयोजन किया गया। राजभाषा अधिनियम 1963 की धारा 3(3) के अंतर्गत जारी कागजातों को द्विभाषी रूप में जारी किया जा रहा है।
7. समाचार पत्र स्टैंड एवं पत्रिका स्टैंड की खरीद की गई।
8. मुख्यालय द्वारा प्रेषित पत्रों पर आवश्यक कार्रवाई की गई।
9. दिनांक 24.08.2026 को केन्द्रीय विद्यालय नामकुम का राजभाषाई निरीक्षण किया गया।

- **वार्षिक कार्यक्रम 2026-27**:- मद संख्या 02 में समिति के समक्ष गृह मंत्रालय राजभाषा विभाग द्वारा जारी वार्षिक कार्यक्रम 2026-27 को रखा गया एवं विभिन्न लक्ष्यों पर चर्चा की गई। निर्धारित लक्ष्य के अनुसार 'क' क्षेत्र के केन्द्रीय कार्यालयों से 'क' क्षेत्र के कार्यालयों में पत्राचार हेतु 100% हिंदी पत्राचार, 'क' क्षेत्र के केन्द्रीय कार्यालयों से 'ख' क्षेत्र के कार्यालयों में पत्राचार हेतु 100% हिंदी पत्राचार तथा 'क' क्षेत्र के केन्द्रीय कार्यालयों से 'ग' क्षेत्र के कार्यालयों में पत्राचार हेतु 70% हिंदी पत्राचार अपेक्षित है। इसके साथ ही हिंदी में टिप्पण लेखन हेतु निर्धारित लक्ष्य प्रतिशत जो कि 80 % है सभी को अवगत करवाया गया, साथ ही सभी कार्मिकों निर्धारित लक्ष्य प्रतिशत से अधिक कार्य करने हेतु शुभकामनाएं भी दी गई एवं निर्णय लिया गया कि लक्ष्य प्रतिशत को प्राप्त करने का हर संभव प्रयास किया जाए एवं ध्यान रखा जाए कि प्राप्त लक्ष्यों में किसी प्रकार की कमी/गिरावट न आए। इसके साथ ही वार्षिक कार्यक्रम के अन्य बिंदुओं पर चर्चा की गई जिसमें मुख्य रूप में लीला हिंदी प्रवाह अनुप्रयोगिकी से सभी को परिचित करवाया गया एवं यह निर्णय लिया गया कि आगामी तिमाही में लीला हिंदी प्रवाह अनुप्रयोगिकी पर कार्यशाला का आयोजन किया जाए।



अनुवर्ती कार्रवाई : समस्त संबंधित सहायक एवं राजभाषा अधिकारी

- **संबंधित सहायकों द्वारा प्रेषित पत्रों की संख्या पर चर्चा एवं विद्यालयों का पत्राचार प्रतिशत**- मद संख्या 03 में कार्यालय के संबंध सहायकों द्वारा प्रेषित किए गए पत्राचार के आंकड़े प्रस्तुत किए गए एवं पाया गया कि दिनांक 09.09.2026 तक क्षेत्रीय कार्यालय का हिंदी पत्राचार प्रतिशत 99.97 प्रतिशत रहा। इस संदर्भ में निर्णय लिया गया कि लक्ष्य प्रतिशत को प्राप्त करने हेतु हर संभव प्रयास किए जाएं इसके साथ संभाग के अधीनस्थ केंद्र विद्यालयों के पत्राचार प्रतिशत के आंकड़े भी समिति के समक्ष रखा गया एवं पाया गया कि संभाग के अंतर्गत समस्त विद्यालयों ने लक्ष्य प्रतिशत को प्राप्त कर लिया है।

अनुवर्ती कार्रवाई : समस्त संबंधित सहायक एवं हिंदी अनुवादक

ुख्यालय द्वारा प्रेषित पत्रों की चर्चा:- इस मद में केन्द्रीय विद्यालय संगठन (मुख्यालय) द्वारा जारी पत्रों की चर्चा की गई जिसके अंतर्गत क्षेत्रीय कार्यालय में कार्यरत कनिष्ठ अनुवादकों/हिंदी का कार्य कर रहे संबंधित कर्मचारियों के लिए राजभाषा संगोष्ठी का आयोजन, राजभाषा विभाग द्वारा दिनांक 14 एवं 15 सितंबर 2026 को हिन्दी दिवस एवं अखिल भारतीय राजभाषा सम्मेलन के संयुक्त आयोजन के संबंध में ,केन्द्रीय विद्यालय संगठन के कार्यालयों में हिन्दी माह का आयोजन, केन्द्रीय विद्यालय संगठन, क्षेत्रीय कार्यालय, राँची का राजभाषा निरीक्षण, राजभाषा नियम 1976 के नियम 10(4) के अंतर्गत केंद्रीय सरकार के कार्यालयों को भारत के राजपत्र में अधिसूचित करने के संबंध में , हिंदी माह 2026 के अवसर पर केंद्रीय विद्यालय संगठन के कार्यालयों में कार्यक्रमों की रूप रेखा के संबंध में जारी पत्रों के संबंध में विस्तृत जानकारी प्रदान की गई एवं यह निर्णय लिया गया कि सभी पत्रों पर आवश्यक कार्रवाई किए जाए के निर्देश के साथ विद्यालयों को प्रेषित किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

अनुवर्ती कार्रवाई : राजभाषा अधिकारी एवं हिंदी अनुवादक

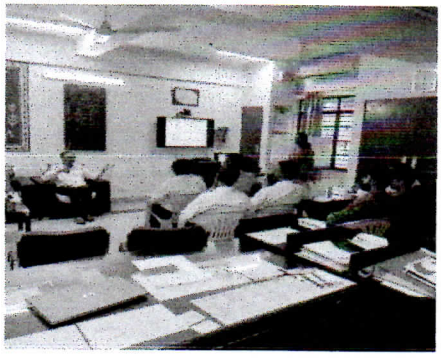
- **नियम 8(4) व्यक्तिशः आदेश –** राजभाषा नियम 1976 के उपनियम 8(4) के संबंध में विस्तृत चर्चा की गई एवं सभी सदस्यों को अवगत करवाया गया कि राजभाषा के प्रावधानों के अनुपालन हेतु यह एक महत्त्वपूर्ण नियम है जिसके अंतर्गत कर्मिकों के हिंदी ज्ञान का जानकारी निर्धारित प्रपत्र में प्राप्त की जाती है एवं निर्धारित प्रपत्र के अनुसार हिंदी ज्ञान रोस्टर तैयार किया जाता है एवं प्रवीणता प्राप्त कार्मिकों को शत् प्रतिशत प्रशासनिक कार्य हिंदी में करने हेतु कार्यालय प्रमुख द्वारा व्यक्तिशः आदेश जारी किया जाता है जिसकी प्रति कार्मिक को प्रदान करने के साथ उसके सेवा पुस्तिका में भी संलग्न की जाती है। इस नियम के अनुपालन हेतु केन्द्रीय विद्यालय संगठन क्षेत्रीय कार्यालय रांची में स्थानांतरित हो कर आए दो कार्मिकों व्यक्तिशः आदेश प्रदान करने का निर्णय लिया गया।

अनुवर्ती कार्रवाई : हिंदी अनुवादक

- **अधीनस्थ विद्यालयों का राजभाषाई निरीक्षण-** अगले मद में अधीनस्थ कार्यालयों के राजभाषाई निरीक्षण के संबंध में राजभाषा विभाग द्वारा जारी वार्षिक कार्याक्रम में निर्धारित लक्ष्य की चर्चा की गई एवं सभी को अवगत करवाया गया कि निर्धारित लक्ष्य के अनुसार 30% अधीनस्थ कार्यालयों का राजभाषाई निरीक्षण वर्ष के दौरान करना अपेक्षित है। इस संदर्भ में यह निर्णय लिया गया कि क्षेत्रीय कार्यालय, राँची के अधीनस्थ केन्द्रीय विद्यालयों के हिंदी तिमाही प्रगति रिपोर्ट की समीक्षा के अनुसार राजभाषाई निरीक्षण हेतु वार्षिक समय-सारणी तैयार कर अधीनस्थ कार्यालयों का राजभाषाई निरीक्षण सुनिश्चित किया जाए। इसके साथ ही विद्यालयों के विभिन्न प्रकार के निरीक्षण के दौरान भी राजभाषा संबंधी प्रावधानों के अनुपालन की समीक्षा की जाए एवं संबंधित टिप्पणी रिपोर्ट में शामिल किया जाए।

अनुवर्ती कार्रवाई : समस्त अधिकारी/ राजभाषा अधिकारी एवं हिंदी अनुवादक

- **हिंदी माह सितंबर 2026 का आयोजन :-** मद संख्या 07 में हिंदी माह के आयोजन पर चर्चा की गई। उक्त संबंध में राजभाषा विभाग एवं केन्द्रीय विद्यालय संगठन (मुख्यालय) द्वारा जारी होने वाले दिशा-निर्देशों के अनुसार इस वर्ष हिंदी माह के आयोजन की घोषणा की गई जिसके अनुसार सितंबर माह दिनांक 01.09.2026 से 30.09.2026 तक हिंदी माह आयोजित करने का निर्णय लिया गया । इस हेतु मुख्यालय द्वारा जारी कार्यक्रम की रूप-रेखा सभी सदस्यों के साथ साझा की गई एवं विभिन्न प्रतियोगिताओं के प्रारूप, माध्यम, पुरस्कार एवं विभिन्न मानदण्ड़ों की विस्तृत चर्चा की गई। इसके साथ ही सभी कार्मिकों के विभिन्न प्रतियोगिताओं में बढ़-चढ़ कर हिस्सा लेने के लिए अनुरोध किया गया।



अनुवर्ती कार्रवाई : समस्त कार्मिक एवं हिंदी अनुवादक

- **हिंदी कार्यशाला -** अगले मद में 30.09.2026 को समाप्त हो रही तिमाही हेतु हिंदी कार्यशाला के आयोजन एवं विषय पर विचार-विमर्श किया गया एवं यह निर्णय लिया गया कि हिंदी टंकण में एक रूपता लाने के उद्देश्य से राजभाषा द्वारा निर्धारित मानक हिंदी टंकण लेआउट पर क्षेत्रीय कार्यालय के समस्त कार्मिकों के लिए एक कार्यशाला का आयोजन किया जा सकता है।

अनुवर्ती कार्रवाई : राजभाषा अधिकारी एवं हिंदी अनुवादक

- **अध्यक्ष महोदय की अनुमति से कोई अन्य विषय:-** अगले मद में अध्यक्ष महोदय ने सभी सदस्यों को हिंदी भाषा की महत्ता एवं राजभाषा निरीक्षण की गंभीरता और निरीक्षण के दौरान ध्यान दिए जाने वाले बिन्दुओं को सूक्ष्मता के साथ सभी को स्पष्ट किया गया। इसके साथ उन्होंने सभी कार्मिकों से हिंदी माह में पूर्ण उत्साह से प्रतिभागिता हेतु आग्रह किया गया किए गए कार्यों की सफलता की शुभकामनाएं प्रदान की। दिनांक 31.08.2026 को आयोजित नराकास की द्वितीय छमाही बैठक में लिए गए निर्णयों के संबंध में नराकास के.का.2 की गृह पत्रिका राजभाषा निधि के संबंध में अवगत करवाया गया एवं दिनांक 14.09.2026 तक स्व रचित रचनाओं को हिंदी प्रकोष्ठ में प्रेषित करने का निर्देश दिया गया।

अनुवर्ती कार्रवाई : समस्त अधिकारी एवं कर्मचारी

बैठक के अंतिम चरण में श्री निर्मल कुमार मंडल, कनिष्ठ सचिवालय सहायक द्वारा धन्यवाद ज्ञापन किया गया जिसमें उन्होंने बैठक में उपस्थित होने तथा राजभाषा के प्रचार-प्रसार हेतु अपने बहुमूल्य विचार व सुझाव प्रस्तुत करने के लिए अध्यक्ष महोदय एवं अन्य सभी उपस्थित सदस्यगण/ कार्मिकों का हार्दिक आभार प्रकट किया तथा उपायुक्त महोदय की अनुमति से राजभाषा कार्यान्वयन समिति की 54वीं तिमाही बैठक समाप्ति की घोषणा की गई।

10/09/26

सदस्य-सचिव

राजभाषा कार्यान्वयन समिति

अध्यक्ष 10.09.2026

राजभाषा कार्यान्वयन समिति